



नम्बरिंग/पात्रता चयन सूचना

— स्थल :—

**सभाकक्ष, आफिस कॉम्पलेक्स,
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ**

दिनांक : 28.01.2015

समय : अपराह्न : 02:00 बजे

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-18 के कैलाश एन्क्लेव में फ्लैटों के पंजीकरण दिनांक **18.07.2014** से **19.08.2014** तक खोला गया था एवं परिषद की अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ) लखनऊ के अन्तर्गत मंदाकिनी 2BHK, भागीरथी 3BHK, अलकनन्दा 2BHK+STUDY & 3BHK+SERVENT एवं नन्दिनी F-64, गंगोत्री F-64, प्रकार के स्ववित्तपोषित बहुमंजिले फ्लैटों का पंजीकरण क्रमशः दिनांक **19.08.2014** से **31.10.2014** एवं दिनांक **01.10.2014** से दिनांक **31.10.2014** तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से खोला गया था। आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट **www.upavp.com** पर Public Notice में List of Applicants के अन्तर्गत आवेदकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। आवेदकों के आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटि यथा नाम, पिता/पति का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी आदि परिलक्षित न हो, अथवा आवेदक सूची में नाम न हो तो दिनांक **23.01.2015** तक कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, अवध विहार योजना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में लिखित रूप से पंजीकरण चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी, जमा धनराशि, बैंक का नाम व पता जहाँ फार्म जमा किया हो, अनिवार्य रूप से पत्र अंकित कर सूचित करें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार की सूचना ग्राह्य न होगी।

1. पात्र पंजीकृत आवेदकों के मध्य कैलाश एन्क्लेव के फ्लैटों का पात्रता चयन किया जायेगा।
2. उक्त पात्रता चयन के पश्चात् हिमालय एन्क्लेव के फ्लैटों का नम्बरिंग ड्रा/समायोजन किया जायेगा।
3. आम्नपाली योजना, लखनऊ में 106/162 एवं 128/200 प्रकार के स्ववित्त पोषित सेमी फिनिश भवनों का दिनांक **14.07.2014** से **30.10.2014** तक पंजीकरण खोला गया। पात्र पंजीकृत आवेदकों के मध्य भवनों का पात्रता चयन किया जायेगा।
4. आम्नपाली योजना, लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग (18/40), मध्यम आय वर्ग (45/75) एवं (56/121), उच्च आय वर्ग (128/200) एवं (176/300) के श्रेणी के भवनों का दिनांक **03.11.2010** से **15.01.2011** तक खोले गये पंजीकरण का पात्रता चयन दिनांक **11.05.2011** को किया गया था। उक्त पात्रता चयन में सफल आवेदकों के मध्य भवनों का नम्बरिंग ड्रा किया जायेगा।
5. मंदाकिनी 2BHK, भागीरथी 3BHK, अलकनन्दा 2BHK+STUDY & 3BHK + SERVENT फ्लैटों का नम्बरिंग ड्रा एवं नन्दिनी F-64, गंगोत्री F-64, पात्रता चयन किया जायेगा।

नोट: आवंटन स्थल पर आवेदकों को पंजीकरण चालान की मूल प्रति एवं पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

आवास आयुक्त